NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 10-09-2025

विषय सूची

» सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित
» महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक (NARI) 2025
» राज्यों के मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में राज्यपालों की भूमिका
» केरल का शहरी नीति आयोग: भारत के लिए सीख
» नेपाल में राजनीतिक संकट और भारत पर इसके प्रभाव
» भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक पांच गुना बढ़कर 44 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना
» एंटरोमिक्स - mRNA कैंसर वैक्सीन
» भारत को जलवायु-अनुकूल शहरों के निर्माण की आवश्यकता

संक्षिप्त समाचार

» राजस्थान विधानसभा द्वारा 'धर्मांतरण विरोधी' विधेयक पारित
» लांगखोन महोत्सव
» राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC)
» SPREE-2025 और AMNESTY योजना के साथ सामाजिक सुरक्षा का दायरा में वृद्धि
» इथियोपिया द्वारा ब्लू नाइल पर अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध प्रारंभ
» वेम्बनाड झील
» अभ्यास ज़ापद (ZAPAD) 2025

सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित

समाचारों में

- सी. पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए।

भारत के उपराष्ट्रपति

- भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
- अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है।
- अनुच्छेद 65 के अंतर्गत, राष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र, पदच्युत होने या अन्य कारणों से पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, और राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है।
  - ऐसी अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार, और भत्ते प्राप्त होते हैं।
- अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।
  - संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता।
  - यदि कोई व्यक्ति इस पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो पद ग्रहण करते ही उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी है।

योग्यता और कार्यकाल

- उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए।
- उसे सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए।
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।
  - वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है या राज्यसभा द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, नामित सदस्य भी।
  - राज्य विधानसभाओं की इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, मतदान संसद भवन में होता है।
- यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है।
- मतदान गुप्त होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
  - प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम (1, 2, 3 आदि) में रैंक करता है।

विजेता की घोषणा

- किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए वैध मतों का बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है; यदि प्रारंभ में कोई बहुमत प्राप्त नहीं करता, तो सबसे कम रैंक वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके मत पुनः वितरित किए जाते हैं जब तक कोई विजेता घोषित न हो जाए।

विवाद

- संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, और उसका निर्णय अंतिम होता है।
  - यदि कोई चुनाव अमान्य घोषित किया जाता है, तो उस अवधि में किए गए कार्य वैध माने जाते हैं।
  - संसद इन चुनावों से संबंधित मामलों पर कानून भी बना सकती है।

वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएँ

- 2018 में उपराष्ट्रपति का वेतन ₹1.25 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया गया, और राष्ट्रपति का ₹1.5 लाख से ₹5 लाख।
- उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति को आजीवन वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को उसका आधा मिलेगा।
  - पूर्व उपराष्ट्रपतियों को किराया-मुक्त आवास, चिकित्सा और यात्रा सुविधाएँ, तथा सचिवीय स्टाफ का सहयोग भी प्राप्त होता है।

Source: BS

महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक (NARI) 2025

संदर्भ

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 (NARI 2025) भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर शहरवार रैंकिंग प्रदान करता है।

NARI 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

- **सबसे सुरक्षित शहर:** कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई।
- **सबसे असुरक्षित शहर:** पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची।
- राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65 प्रतिशत निर्धारित किया गया, जो शहरों के प्रदर्शन का मानक है।
- 2024 में, 7 प्रतिशत महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न का अनुभव किया, जबकि 24 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में यह आंकड़ा 14 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो युवा वर्ग की अधिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।
  - पड़ोस (38 प्रतिशत) और सार्वजनिक परिवहन (29 प्रतिशत) महिलाओं के उत्पीड़न के सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए स्थानों के रूप में सामने आए।
- केवल 25 प्रतिशत महिलाओं ने विश्वास व्यक्त किया कि सुरक्षा और उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर अधिकारी प्रभावी कार्रवाई करेंगे।

लैंगिक-सुरक्षित शहरों की बाधाएँ

- **संस्थागत और प्रशासनिक कमियाँ:** कई एजेंसियाँ अलग-अलग कार्य करती हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन कमजोर होता है।
- **न्यायिक प्रतिक्रिया में धीमापन:** जांच में देरी और लंबी सुनवाई से निवारक प्रभाव कम होता है, जिससे अपराध दोहराए जाते हैं।
- **परिवहन की कमजोरियाँ:** भीड़ वाली बसें, असुरक्षित अंतिम-मील संपर्क और परिवहन सेवाओं में महिला स्टाफ की कमी असुरक्षा बढ़ाती है।
- **कम रिपोर्टिंग:** केवल तीन में से एक महिला ही घटनाओं की रिपोर्ट करती है, जो सामाजिक कलंक और अधिकारियों पर कमजोर विश्वास को दर्शाता है।
- **पितृसत्तात्मक मान्यताओं की स्थिरता:** सामाजिक दृष्टिकोण उत्पीड़न को तुच्छ मानते हैं और प्रायः महिलाओं को दोषी ठहराते हैं, जिससे शिकायतें हतोत्साहित होती हैं।
- **आँकड़ों पर अत्यधिक निर्भरता:** आधिकारिक आँकड़े धारणा-आधारित असुरक्षाओं को नहीं दर्शाते, जो नीति ढांचे में अदृश्य बनी रहती हैं।

महिला सुरक्षा हेतु सरकारी पहलें

- **निर्भया फंड:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देशभर में सुरक्षा परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु यह फंड स्थापित किया है।
- **SHe-Box पोर्टल:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स(SHe-Box) एक एकल-विंडो मंच है जहाँ महिलाएँ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
  - यह सभी महिलाओं के लिए सुलभ है, चाहे वे संगठित/असंगठित, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में कार्यरत हों।

- **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013** सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी आयु, रोजगार का प्रकार या कार्य क्षेत्र कुछ भी हो।
  - यह अधिनियम नियोक्ताओं को 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आंतरिक समिति (IC) बनाने का निर्देश देता है, जबकि उपयुक्त सरकार छोटे संगठनों या नियोक्ताओं के विरुद्ध मामलों के लिए स्थानीय समितियाँ (LCs) गठित करती है।

आगे की राह

- **अल्पकालिक उपाय:** स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और नगरपालिका सेवाओं के साथ 24x7 महिला हेल्पलाइन का समन्वय करें।
  - बड़े नियोक्ताओं में POSH व्यवस्थाओं का त्वरित अनुपालन ऑडिट करें और गुमनाम अनुपालन स्थिति प्रकाशित करें।
- **मध्यमकालिक उपाय:** केंद्रीय शहरी योजनाओं के अंतर्गत लैंगिक ऑडिट को अनिवार्य करें और शहर अनुदानों को मापनीय सुरक्षा सूचकांकों से जोड़ें।
  - सार्वजनिक परिवहन में अनिवार्य CCTV, शिकायत निवारण समयसीमा और ऑपरेटर की जवाबदेही सुनिश्चित करें।
- **दीर्घकालिक उपाय:** स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में बहुवर्षीय लैंगिक-संवेदनशीलता कार्यक्रम शुरू करें, जिनके व्यवहारिक परिणाम मापे जा सकें।
  - पुलिस प्रशिक्षण और मूल्यांकन में लैंगिक-संवेदनशीलता को शामिल करें, और पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती देने वाले पुरुषों के कार्यक्रमों को बढ़ावा दें।
  - ऐसी सामुदायिक-नेतृत्व वाली सुरक्षा पहलों में निवेश करें जो नागरिकों और संस्थानों के बीच विश्वास को पुनः स्थापित करें।

Source: BS

राज्यों के मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में राज्यपालों की भूमिका

संदर्भ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने यह टिप्पणी की कि राज्यपालों को राज्य सरकारों के लिए "सच्चे मार्गदर्शक और दार्शनिक" की भूमिका निभानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

- **राज्यपाल की भूमिका:** मुख्य न्यायाधीश ने बल दिया कि राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होते हैं और शासन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी साझा करते हैं।
- **लोकतंत्र पर प्रभाव:** विधेयकों पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई न होना निर्वाचित विधानसभाओं के जनादेश को कमजोर करता है और संघवाद के संतुलन को खराब करता है।

विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति का संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 200:** यह राज्यपाल की स्वीकृति प्रक्रिया को परिभाषित करता है। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास चार विकल्प होते हैं:
  - **स्वीकृति देना:** राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, जिससे वह कानून बन जाता है।
  - **स्वीकृति रोकना:** राज्यपाल विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, जिससे वह कानून नहीं बन पाता।

- **पुनर्विचार हेतु लौटाना:** राज्यपाल विधेयक को सुझावों के साथ विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। हालांकि, यदि विधानमंडल बिना संशोधन के पुनः विधेयक पारित करता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी अनिवार्य होती है।
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित करना:** यदि विधेयक संविधान के विरुद्ध है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता है, या केंद्रीय कानूनों से असंगत है, तो राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं।

- **अनुच्छेद 201:** यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं:
  - **स्वीकृति देना:** विधेयक कानून बन जाता है।
  - **स्वीकृति रोकना या पुनर्विचार हेतु लौटाना:** राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं।
    - यदि विधानमंडल विधेयक को फिर से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं होता।

चिंताएँ

- **वर्तमान अस्पष्टता:** दोनों प्रावधानों में "यथाशीघ्र" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे कई विपक्ष-शासित राज्यों में देरी हुई है।
- **विधेयकों पर स्वीकृति में देरी:** केरल ने प्रस्तुत किया कि उसके राज्यपाल के पास 7 से 23 महीनों से आठ विधेयक लंबित हैं।
  - तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने भी इसी प्रकार की शिकायतें कीं।
- विधेयकों को लौटाए बिना स्वीकृति रोकने की 'पॉकेट वीटो' जैसी स्थिति ने राज्यपाल की निष्पक्षता और संवैधानिक मानदंडों के पालन पर प्रश्न उठाए हैं।

न्यायिक हस्तक्षेप

- **शमशेर सिंह मामला (1974):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिकांश मामलों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना चाहिए।
- **रमेश्वर प्रसाद मामला (2006):** न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल द्वारा स्वीकृति न देने का निर्णय न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है और यदि असंवैधानिक पाया जाए तो परिवर्तित किया जा सकता है।
- **नाबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष मामला (2016):** यह पुष्टि की गई कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, जिससे मनमाने निर्णयों को रोका जा सके।
- **पंजाब मामला (2023):** राज्यपाल एक निर्वाचित प्राधिकारी नहीं हैं और वे विधायी प्रक्रिया को रोक नहीं सकते।
  - स्वीकृति रोकने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है।
- **सर्वोच्च्य न्यायालय की टिप्पणी (2024):** राज्यपाल की भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है और उन्हें निर्वाचित राज्य सरकार के शासन में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

आगे की राह

- **सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना:** राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच नियमित परामर्श जैसे संस्थागत तंत्र घर्षण को कम कर सकते हैं।
- **सरकारिया और पंची आयोग की सिफारिशों की पुनर्समीक्षा:** दोनों आयोगों ने राज्यपालों को निष्पक्ष रूप से और संवैधानिक सीमाओं के अंदर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

Source: TH

के रल का शहरी नीति आयोग: भारत के लिए सीख

संदर्भ

- हाल ही में, केरल कैबिनेट ने तीव्र शहरीकरण से निपटने के लिए केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) की स्थापना का निर्णय लिया, क्योंकि अनुमान है कि 2050 तक केरल का 80% से अधिक क्षेत्र शहरी हो जाएगा, जो देश के औसत से कहीं अधिक है।

केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) के बारे में

- यह भारत का प्रथम राज्य-स्तरीय शहरी आयोग है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2023 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य 25 वर्षों की रूपरेखा के साथ शहरों को जलवायु-संवेदनशील, जन-केंद्रित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पुनः परिकल्पित करना है।
- यह केरल की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप लचीले, समावेशी और जलवायु-तैयार शहरों का निर्माण करना चाहता है, जो प्रतिक्रियात्मक शासन से रणनीतिक योजना की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- KUPC ने मार्च 2025 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित के लिए एक खाका प्रस्तुत किया गया:
  - डिजिटल डेटा क्रांति
  - शासन सुधार
  - नगरपालिकाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण
  - सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहचान का पुनरुद्धार

KUPC की प्रमुख सिफारिशें

- **जलवायु-संवेदनशील योजना:** बाढ़, भूस्खलन और तटीय जोखिम मानचित्रों को शामिल करते हुए खतरा-आधारित ज़ोनिंग।
  - आपदा के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय, पूर्वानुमान आधारित योजना।
- **डेटा-आधारित शासन:** KILA में एक डिजिटल डेटा वेधशाला की स्थापना, जो LIDAR, उपग्रह, ज्वार और मौसम डेटा को केंद्रीकृत करेगी।
  - प्रत्येक नगरपालिका को वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध होगी।
- **वित्तीय सशक्तिकरण:** कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख शहरों के लिए नगरपालिका बॉन्ड।
  - छोटे शहरों के लिए संयुक्त बॉन्ड।
  - हरित शुल्क और जलवायु बीमा के माध्यम से आपदा के लिए पूर्व-स्वीकृत भुगतान सुनिश्चित करते हुए लचीलापन को वित्तपोषित करना।
- **शासन में बदलाव:** मेयरों द्वारा संचालित सिटी कैबिनेट्स, जो नौकरशाही जड़ता को समाप्त करें।
  - जलवायु, अपशिष्ट और गतिशीलता पर विशेषज्ञ नगरपालिका प्रकोष्ठ।
  - 'ज्ञानश्री' कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं की तकनीकी प्रतिभा को शासन में शामिल करना।
- **स्थान-आधारित आर्थिक पुनरुद्धार:**
  - त्रिशूर-कोच्चि: फिनटेक हब
  - तिरुवनंतपुरम-कोल्लम: नॉलेज कॉरिडोर
  - कोझिकोड: साहित्य का शहर
  - पलक्कड़ और कासरगोड: स्मार्ट-औद्योगिक क्षेत्र
- **साझा संसाधन, संस्कृति और देखभाल:** आर्द्रभूमि और जलमार्गों का पुनरुद्धार; विरासत क्षेत्रों की सुरक्षा।
  - प्रवासी श्रमिकों, गिग वर्कर्स और छात्रों के लिए सिटी हेल्थ काउंसिल्स।

केरल की शहरी नीति में प्रमुख नवाचार

- KUPC रिपोर्ट और केरल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 ने कई अग्रणी विचार प्रस्तुत किए जैसे: सिटी कैबिनेट्स; स्थानीय आर्थिक विकास विभाग; हरित शुल्क; विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन; जलवायु-जोखिम बीमा और कार्बन सिंक ज़ोन।
- एक फीडबैक लूप जिसमें नागरिकों की कहानियाँ डेटा को प्रेरित करती हैं, और डेटा नीति को।
- ये योजना, वित्त और शासन में अलगाव को समाप्त करते हैं, और एक 360° शहरी बुद्धिमत्ता प्रणाली का निर्माण करते हैं।

अन्य राज्यों और भारत के लिए सीख

- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** केवल चुनावी चक्रों के लिए नहीं, बल्कि 25 वर्षों के लिए योजना बनाना।
- **हितधारकों की भागीदारी:** नागरिकों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के साथ समावेशी परामर्श।
- **जलवायु एकीकरण:** प्रत्येक शहरी निर्णय में लचीलापन को शामिल करना।

- **विकेंद्रीकृत शासन:** स्थानीय निकायों को स्वायत्तता और संसाधनों से सशक्त बनाना।
- **नीति-अनुसंधान समन्वय:** शैक्षणिक अंतर्दृष्टियों को व्यावहारिक क्रियान्वयन से जोड़ना।
- **अन्य सीखों में शामिल हैं:**
  - समयबद्ध शहरी आयोगों की स्थापना
  - तकनीकी डेटा को सामुदायिक ज्ञान से जोड़ना
  - डेटा वेधशालाओं के माध्यम से नागरिक संवाद को संस्थागत बनाना
  - स्थानीय निकायों को बॉन्ड और जोखिम प्रीमियम जैसे वित्तीय उपकरणों से सशक्त बनाना
  - शासन प्रणालियों में युवाओं और विशेषज्ञों को शामिल करना

Source: TH

नेपाल में राजनीतिक संकट और भारत पर इसके प्रभाव

समाचारों में

- नेपाल की जनरेशन Z द्वारा नेतृत्व किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे व्यापक हिंसा हुई, जिसमें सरकारी भवनों को जलाना और राजनेताओं पर हमले शामिल थे।

नेपाल में संकट के कारण

- **जनरेशन Z की असंतुष्टि:** भ्रष्टाचार, नेताओं की भव्य जीवनशैली, जवाबदेही की कमी और युवाओं में बेरोजगारी (20% से अधिक) के कारण व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ।
  - विशेष रूप से तब जब नेपाल की अर्थव्यवस्था में प्रेषण का बड़ा योगदान है, लेकिन देश में रोजगार की संभावनाएँ बेहद कमजोर हैं।
- **विरोध को दबाना:** सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे विनियामक कारणों से उचित ठहराया गया, लेकिन इसे व्यापक रूप से सेंसरशिप के प्रयास के रूप में देखा गया।
  - सोशल मीडिया युवा नेपाली नागरिकों की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है, और इसको प्रतिबंधित किये जाने से तत्काल राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू हो गए।
- **राज्य की कठोर प्रतिक्रिया:** प्रदर्शनकारियों को अत्यधिक बल का सामना करना पड़ा—पुलिस ने रबर की गोलियां चलाईं और कठोर कर्फ्यू लागू किए, जिससे 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों घायल हुए।
- **भारत के अशांत पड़ोस का प्रभाव सुरक्षा खतरे:** पड़ोसी देशों में अस्थिरता और कट्टरपंथी विचारधाराओं के उभार से भारत की आंतरिक सुरक्षा को सीधा खतरा होता है।
  - नेपाल के साथ खुली सीमा, उदाहरण के लिए, कट्टरपंथी समूहों की आवाजाही को लेकर चिंता का विषय है।
- **कूटनीतिक चुनौतियाँ:** भारत की विदेश नीति की क्षमता प्रायः अपने निकटवर्ती संकटों को संभालने में व्यस्त रहती है, जिससे "विस्तारित पड़ोस" और वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा पर ध्यान देने की संभावना कम हो जाती है।
- **आर्थिक परिणाम:** अस्थिरता व्यापार मार्गों और पर्यटन को बाधित कर सकती है, जैसा कि हालिया नेपाल संकट में देखा गया, जिससे उड़ानों और सीमा गतिविधियों पर असर पड़ा।
  - इसके अतिरिक्त, भारत को आर्थिक सहायता और मानवीय राहत का भार उठाना पड़ सकता है।
- **घरेलू राजनीतिक प्रभाव:** पड़ोसी देशों की समस्याएँ, जैसे जातीय या सांप्रदायिक संघर्ष, कभी-कभी भारत की घरेलू राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं, विशेष रूप से उन सीमावर्ती राज्यों में जहाँ जनसंख्या और सांस्कृतिक संबंध साझा होते हैं।

Source: TH

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक पांच गुना बढ़कर 44 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना

संदर्भ

- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 2022 में 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जिसका लक्ष्य वैश्विक बाजार का 8% हिस्सा प्राप्त करना है।

अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी

- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2-3% योगदान देती है, जो 2030 तक बढ़कर 8% और 2047 तक 15% तक पहुँचने की संभावना है।
- 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ, भारत अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या के मामले में विश्व में पाँचवें स्थान पर है।

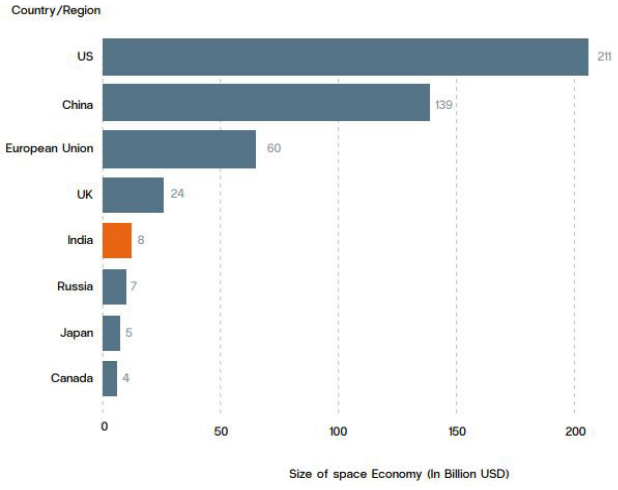

अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी

- भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या 2022 में केवल एक से बढ़कर 2024 में लगभग 200 हो गई।
- इन स्टार्टअप्स को प्राप्त वित्त पोषण 2021 में $67.2 मिलियन से बढ़कर 2023 में $124.7 मिलियन तक पहुँच गया।
- स्काईरूट ने भारत का प्रथम निजी रूप से निर्मित रॉकेट, विक्रम-S, अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य उपग्रह प्रक्षेपण को क्रांतिकारी रूप देना है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अंतर्गत विभिन्न संगठनों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- **IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र):** यह एक स्वायत्त एकल-विंडो एजेंसी है, जो निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:
  - सभी सरकारी और निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करना
  - उद्योग क्लस्टर, इनक्यूबेशन सेंटर और एक्सेलेरेटर को बढ़ावा देना
  - ISRO से निजी कंपनियों को तकनीक हस्तांतरण की सुविधा देना
  - रिमोट सेंसिंग डेटा के प्रसार और लॉन्च मैनिफेस्ट को स्वीकृति देना
- **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO):** ISRO का ध्यान अब निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है:
  - नई अंतरिक्ष तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास, मानव अंतरिक्ष उड़ान और वैज्ञानिक अन्वेषण
  - परिचालन अंतरिक्ष प्रणालियों को उद्योग को हस्तांतरित करना
  - रिमोट सेंसिंग डेटा तक खुली पहुँच प्रदान करना
  - अकादमिक और औद्योगिक सहयोग को समर्थन देना
  - अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति को सक्षम बनाना
- **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):** अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करता है:
  - ISRO द्वारा विकसित अंतरिक्ष तकनीकों का वाणिज्यीकरण
  - अंतरिक्ष उपकरणों का निर्माण और खरीद
  - सरकारी और निजी क्षेत्र के ग्राहकों को वाणिज्यिक शर्तों पर सेवा प्रदान करना
- **अंतरिक्ष विभाग (DoS):** नीति समन्वयक के रूप में कार्य करता है:

- हितधारकों के बीच भूमिकाओं का सुचारू वितरण सुनिश्चित करना
- नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अनुपालन का समन्वय करना
- सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना और विवादों का समाधान करना
- नेविगेशन प्रणालियों में वैश्विक मानकों और इंटरऑपरेबिलिटी को बनाए रखना

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार (2020):** सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी और IN-SPACe, ISRO और NSIL की भूमिकाओं को परिभाषित किया।
- **वेंचर कैपिटल (VC) फंड:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्थन देने के लिए ₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने की मंजूरी दी है।
- **ISRO की संरचनात्मक क्षमता और लागत-कुशलता:** ISRO के उच्च प्रभाव वाले, लागत-कुशल मिशनों—जैसे चंद्रयान-3 और मंगलयान—ने भारत को वैश्विक मंच पर सुदृढ़ स्थिति प्रदान की है।
- **अंतरिक्ष विजन 2047:**
  - 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) का लक्ष्य
  - 2040 तक भारत का चंद्रमा पर उतरना
  - गगनयान कार्यक्रम अंतिम चरण में है, प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान 2027 की प्रथम तिमाही में निर्धारित
  - 2028 तक BAS का प्रथम मॉड्यूल
  - 2032 तकआगामी पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान (NGLV)
  - 2027 तक चंद्रयान-4, चंद्रमा से नमूने एकत्र करने और वापसी तकनीक का प्रदर्शन
  - 2028 तक शुक्र ऑर्बिटर मिशन (VOM), शुक्र का अध्ययन करने हेतु
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को अंतरिक्ष गतिविधियों में समान अवसर सुनिश्चित करती है।
- **स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN):** SpIN अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप्स और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए एक अद्वितीय सार्वजनिक-निजी सहयोग है।

संशोधित FDI नीति के अंतर्गत:

- अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति
- उपग्रह-संबंधित गतिविधियों में 74% तक (स्वचालित मार्ग); इससे अधिक के लिए सरकारी मार्ग
- प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष बंदरगाहों में 49% तक (स्वचालित मार्ग); इससे अधिक के लिए सरकारी मार्ग
- उपग्रहों और ग्राउंड/यूज़र सेगमेंट के लिए घटकों और उप-प्रणालियों के निर्माण में 100% (स्वचालित मार्ग)

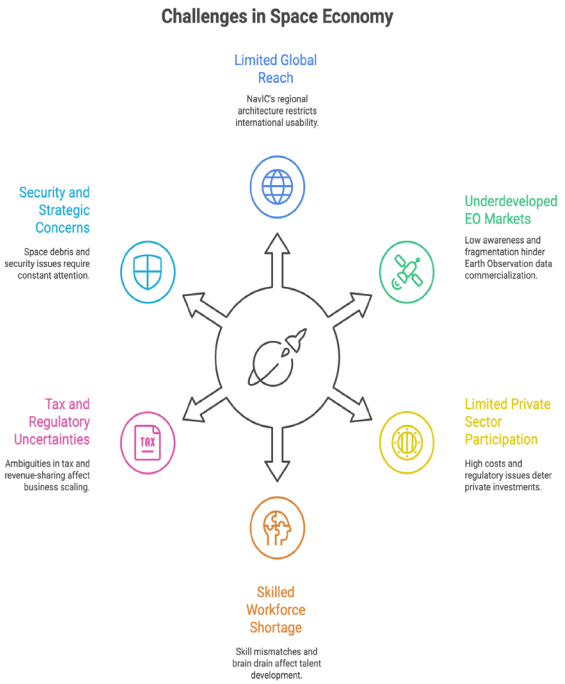

आगे की राह

- निजी संस्थाएँ अब अनुसंधान, निर्माण और रॉकेट व उपग्रहों की फैब्रिकेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिससे नवाचार का एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है।

- इससे भारतीय कंपनियाँ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत हो सकेंगी। इसके साथ ही कंपनियाँ देश में ही अपने विनिर्माण केंद्र स्थापित कर सकेंगी, जिससे सरकार की 'मेक इन इंडिया (MII)' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को प्रोत्साहन मिलेगा।

Source: ET

एंटरोमिक्स - mRNA कैंसर वैक्सीन

संदर्भ

- रूस ने एंटरोमिक्स नामक एक नया टीका प्रस्तुत किया है, जो कैंसर उपचार के लिए प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावशीलता दिखाने की रिपोर्ट में सामने आया है।

टीके के बारे में

- रूसी संघीय चिकित्सा और जैविक एजेंसी (FMBA) के अनुसार, रूसी एंटरोमिक्स कैंसर टीका अब नैदानिक उपयोग के लिए तैयार है।
- यह ऑनकोलिटिक टीका स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान रेडियोलॉजी केंद्र (NMRRC) द्वारा रूसी विज्ञान अकादमी के एंगेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह mRNA-आधारित टीका पूर्व-नैदानिक परीक्षणों में सफल रहा, जिसमें इसकी सुरक्षा और उच्च प्रभावशीलता सिद्ध हुई।
  - इसका उद्देश्य आक्रामक ट्यूमर को सिकोड़ना, उनकी वृद्धि को धीमा करना है—वह भी बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन जैसे कठोर दुष्प्रभावों के।
- यह टीका प्रत्येक रोगी के RNA के आधार पर अनुकूलित किया जाएगा, जिससे यह पूर्णतः व्यक्तिगत चिकित्सा बन जाती है।
- **टीका कैसे कार्य करता है:** एंटरोमिक्स चार हानिरहित वायरसों के संयोजन का उपयोग करता है, जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर नष्ट करते हैं और साथ ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं।

टीकाकरण क्या है?

- टीकाकरण किसी विशेष रोगजनक के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। यह शरीर को भविष्य में रोग के संपर्क में आने पर उससे लड़ने के लिए तैयार करता है।
- मृत या कमजोर वायरस पर आधारित टीके लंबे समय से उपलब्ध हैं, जैसे पोलियो, खसरा और पीत ज्वर के टीके।
  - 1951 में, मैक्स थाइलर को पीत ज्वर का टीका विकसित करने के लिए शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- जैसे-जैसे तकनीक विकसित हुई, पूरे वायरस की बजाय केवल उसके आनुवंशिक कोड का एक भाग टीकों के माध्यम से शरीर में पहुँचाया जाने लगा।
  - हालाँकि, ऐसे टीकों का बड़े पैमाने पर विकास सेल कल्चर (नियंत्रित परिस्थितियों में कोशिकाओं की वृद्धि) पर निर्भर करता है और इसमें समय लगता है।

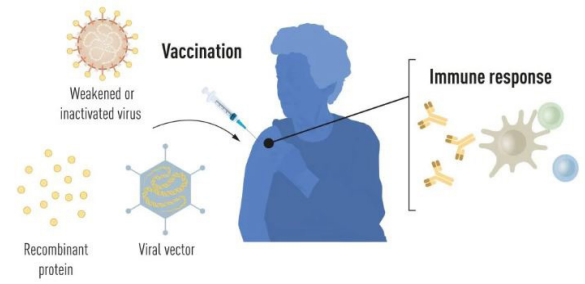

Figure 1. Methods for vaccine production before the COVID-19 pandemic.

mRNA टीके और कार्यप्रणाली

- यह तकनीक 1980 के दशक से ज्ञात थी, लेकिन इसे व्यावसायिक स्तर पर टीके बनाने के लिए पर्याप्त रूप से परिष्कृत नहीं किया गया था।
  - मूल रूप से, इस तकनीक में निष्क्रिय वायरस को शरीर में डालने की बजाय, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (mRNA) का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को संदेश देने के लिए किया जाता है।

- आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया गया mRNA कोशिकाओं को उस प्रोटीन को बनाने का निर्देश देता है जो किसी विशेष वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक होता है।
- कोविड-19 के दौरान, इस तकनीक ने वैज्ञानिकों को तीव्र गति से टीके डिजाइन करने में सक्षम बनाया, जिससे गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोका जा सका—तथा यह आधुनिक चिकित्सा में एक क्रांतिकारी बदलाव सिद्ध हुआ।
- mRNA मानव DNA को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि यह कभी भी कोशिका के नाभिक में प्रवेश नहीं करता और कुछ ही दिनों में स्वाभाविक रूप से विखंडित हो जाता है।
- सुरक्षा और प्रभावशीलता सिद्ध होने के पश्चात, शोधकर्ता अब mRNA टीकों का उपयोग अन्य बीमारियों जैसे फ्लू और यहां तक कि व्यक्तिगत कैंसर उपचारों के लिए भी कर रहे हैं।

एंटरोमिक्स का महत्व

- **पूर्णतः व्यक्तिगत डिज़ाइन:** प्रत्येक टीका व्यक्ति के ट्यूमर की आनुवंशिक संरचना के आधार पर तैयार किया जाता है, जिससे लक्षित विशिष्टता और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सुधार होता है।
- **mRNA प्लेटफॉर्म:** यह तीव्र विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति देता है—जो कि दशकों से कैंसर टीकों के प्रयासों में कमी रही है।
  - यह विधि विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए शीघ्रता से अनुकूलित की जा सकती है।
- **वैश्विक रोगियों के लिए:** कठोर उपचारों से सुरक्षित, अनुकूलित इम्यूनोथेरेपी की ओर बदलाव दुष्प्रभावों को कम कर सकता है और परिणामों को बेहतर बना सकता है।
- **भारत के लिए:** कोलोरेक्टल और सर्वाइकल कैंसर भारत में कैंसर मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।
  - यदि लागत, अवसंरचना और नियामक समर्थन उपलब्ध हो, तो एक प्रभावी, व्यक्तिगत कैंसर टीके तक पहुँच देखभाल प्रणाली को बदल सकती है।

Source: BS

भारत को जलवायु-अनुकूल शहर बनाने की आवश्यकता

समाचारों में

- भारत का शहरी परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है, जहाँ शहर नए रोजगार उत्पन्न करने और अरबों लोगों को आश्रय देने के लिए तैयार हैं।

जलवायु-लचीले शहरी भविष्य की आवश्यकता

- भारत अभूतपूर्व शहरी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
- 2030 तक शहरों से 70% से अधिक नए रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है, और 2050 तक लगभग एक अरब लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करेंगे।
- यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है: जहाँ शहर नवाचार और विकास के इंजन बन सकते हैं, वहीं वे बाढ़, गर्मी की लहरों, चक्रवातों एवं जल संकट जैसी जलवायु-जनित जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील भी होते जा रहे हैं।

जलवायु-लचीले शहरों के निर्माण की दिशा में कदम

- इसमें एकीकृत शहरी योजना शामिल है, जो जलवायु जोखिम मूल्यांकन को अपनाती है, मिश्रित उपयोग वाले सघन विकास को बढ़ावा देती है, और जलग्रहण आधारित योजना के माध्यम से शहरी जल प्रबंधन करती है।
- प्रकृति-आधारित समाधान आर्द्रभूमियों, झीलों एवं मैंग्रोव का पुनरुद्धार, शहरी वनों का विस्तार, और अतिरिक्त वर्षा जल को संभालने के लिए पारगम्य सतहों व हरित छतों को प्रोत्साहित करते हैं।
- जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना में जल निकासी प्रणालियों का उन्नयन, बाढ़ चेतावनी प्रणालियों की स्थापना, ऊर्जा दक्षता और आपदा लचीलापन के लिए भवनों का पुनरुद्धार, तथा सौर ऊर्जा चालित परिवहन परियोजनाओं में निवेश शामिल है।

- समावेशी शासन स्थानीय निकायों को जलवायु जनादेश देने, नागरिकों को योजना में शामिल करने, और विभिन्न सरकारी स्तरों पर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने पर बल देता है।
- वित्तपोषण और नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हरित बॉन्ड और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से धन एकत्रण, राष्ट्रीय शहरी मिशनों को जलवायु लक्ष्यों से जोड़ना, और क्लाइमेट-टेक स्टार्टअप्स व व्यवहारिक परियोजनाओं को समर्थन देना शामिल है।

चुनौतियाँ

- बाढ़ दो-तिहाई शहरी निवासियों के लिए खतरा बन चुकी है, और 2070 तक अनुमानित हानि $30 अरब तक पहुँच सकता है।
  - इसके लिए नो-बिल्ड ज़ोन, बेहतर जल निकासी, प्रकृति-आधारित हस्तक्षेप और वास्तविक समय चेतावनी प्रणालियों जैसी एकीकृत समाधान आवश्यक हैं—जिसका उदाहरण कोलकाता और चेन्नई हैं।
- अत्यधिक गर्मी, जो शहरी हीट आइलैंड प्रभाव से और बढ़ जाती है, के लिए शीतल छतें, वृक्षों की छाया और अनुकूल कार्य समय जैसी मापनीय उपायों की आवश्यकता है।
- **आवासीय संवेदनशीलता:** 2070 तक 144 मिलियन से अधिक नए घरों और व्यापक अवसंरचना का निर्माण किया जाना बाकी है।
- **परिवहन प्रणालियाँ**, जो बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं, को जोखिम मानचित्रण, जल निकासी उन्नयन और वैकल्पिक मार्गों की आवश्यकता है ताकि आर्थिक निरंतरता बनी रहे।
- **कचरा और प्रदूषण:** नगरपालिका सेवाओं की अक्षमता वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता कमजोर होती है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए शहरों को संस्थागत क्षमता का निर्माण करना होगा, सहयोग को बढ़ावा देना होगा, और सरकार व नागरिकों दोनों का समर्थन प्राप्त करना होगा।
- अनुकूलनशील अवसंरचना एवं समावेशी शहरी योजना में प्रारंभिक निवेश अरबों की क्षति को रोक सकता है और जीवन बचा सकता है।
- आवासीय संरचनाओं को बाढ़, गर्मी, चक्रवात और भूकंप का सामना करने योग्य बनाया जाना चाहिए, जिसमें सघन एवं दूरदर्शी शहर नियोजन पर ध्यान केंद्रित हो।
- नगरपालिका सेवाओं का आधुनिकीकरण, जैसे वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाएँ, पर्यावरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा और शहरी उत्पादकता को बढ़ावा देगा।

Source :IE

संक्षिप्त समाचार

राजस्थान विधानसभा द्वारा 'धर्मांतरण विरोधी' विधेयक पारित

संदर्भ

- राजस्थान विधान सभा ने "राजस्थान अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध विधेयक, 2025" पारित किया।

पृष्ठभूमि

- 2025 तक, 11 राज्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक रूपांतरण को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किए हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार, अभ्यास और प्रसार करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 में यह निर्णय दिया कि यह मौलिक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में रूपांतरित करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि धर्म के सिद्धांतों के माध्यम से उसका प्रसार करने का अधिकार देता है।

मुख्य विशेषताएँ

- यह विधेयक बल, दबाव, गलत प्रस्तुति, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, विवाह या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है।
- रूपांतरण कराने वाला व्यक्ति और रूपांतरित होने वाला व्यक्ति दोनों को जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष घोषणा करनी होगी।
  - DM जांच करेगा और आपत्तियाँ आमंत्रित करेगा।
- बलपूर्वक रूपांतरण के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने वाले व्यक्तियों में पीड़ित, माता-पिता, भाई, बहन या रक्त, विवाह या गोद लिए संबंधों से जुड़े कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
- **सामान्य अपराध:** अवैध रूपांतरण पर सात से चौदह वर्ष की सजा और न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
- **संवेदनशील समूह:** यदि रूपांतरित व्यक्ति नाबालिग, महिला, दिव्यांग या अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से है, तो सजा दस से बीस वर्ष और ₹10 लाख का जुर्माना होगा।
- **सामूहिक रूपांतरण:** सामूहिक रूपांतरण के मामलों में दोषियों को बीस वर्ष से आजीवन कारावास और न्यूनतम ₹25 लाख का जुर्माना भुगतना होगा।

मुख्य मुद्दे

- रूपांतरण का विवरण और रूपांतरित व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक सूचना पर डाली जाएगी।
- यह किसी व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।
- किसी व्यक्ति के पूर्व धर्म में पुनः रूपांतरण को रूपांतरण नहीं माना जाएगा।
- यह समानता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

Source: IE

लांगखोन महोत्सव

संदर्भ

- तिवा जनजाति के लोगों ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले के उमसोवाई गाँव में लांगखोन (लांगखुन) उत्सव मनाया।

परिचय

- इस उत्सव में चार दिनों तक बाँस की पूजा की जाती है, जो उर्वरता, लचीलेपन और प्रकृति व मानव जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है।
- यह मुख्य रूप से असम के कार्बी आंगलोंग जिले में मनाया जाता है, लेकिन इसका महत्व तिवा बहुल अन्य क्षेत्रों में भी है।
- यह जनजाति अपने धान की कीटों से सुरक्षा और अच्छी उपज की कामना के लिए रामसा देवता एवं अन्य देवताओं को अपनी फसल अर्पित करने के लिए वार्षिक फसल उत्सव मनाती है।

Source: TH

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC)

समाचार

- कोल इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में नामांकित आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

NSTFDC के बारे में

- **स्थापना:** NSTFDC की स्थापना 2001 में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों को बेहतर स्व-रोज़गार के अवसर प्रदान करके उनका सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक उत्थान करना है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकें।

- **प्रशिक्षण में भूमिका:** NSTFDC विशेष रूप से आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अनुदान भी प्रदान करता है।

Source: TH

SPREE-2025 और AMNESTY योजना के साथ सामाजिक सुरक्षा का दायरा में वृद्धि

समाचारों में

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने और उद्योगों के लिए अनुपालन को सरल बनाने हेतु दो प्रमुख पहलें शुरू की हैं — SPREE-2025 और एमनेस्टी योजना-2025।

SPREE-2025

- SPREE-2025 (नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने की योजना) 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी।
- यह योजना अपंजीकृत उद्योगों और कर्मचारियों को ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से बिना पिछले बकाया का भुगतान किए पंजीकरण की अनुमति देती है।
- पंजीकृत नियोक्ता अपनी पसंद की तिथि से कवर किए जाएंगे, और कर्मचारी पंजीकरण की तिथि से ESIC लाभ प्राप्त करेंगे।
- यह योजना दंड की बजाय स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य मुकदमों को कम करना और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच विश्वास स्थापित करना है।

एमनेस्टी योजना-2025

- यह ESIC द्वारा शुरू की गई एक बार की विवाद निपटान पहल है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
- इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना और ESI अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को बढ़ावा देना है, जिससे नियोक्ता ESIC के साथ अदालत के बाहर समझौते के माध्यम से कानूनी विवादों का समाधान कर सकें।

Source :PIB

इथियोपिया द्वारा ब्लू नाइल पर अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध प्रारंभ

संदर्भ

- इथियोपिया ने ग्रैंड इथियोपियन रेनैसां डैम (GERD) का उद्घाटन किया है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है।

GERD के बारे में

- **स्थान:** गूबा, इथियोपिया, ब्लू नाइल पर (जो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है)।
- **स्थापित क्षमता:** 6,450 मेगावाट, जिससे यह विश्व के शीर्ष 20 जलविद्युत बांधों में शामिल हो गया है।
- यह बांध निचले प्रवाह वाले देशों जैसे मिस्र और सूडान के बीच विवाद का विषय बना हुआ है।

Grand Ethiopian Renaissance Dam

Source: Natural Earth, Humanitarian Data Exchange, Reuters

ब्लू नाइल के बारे में

- ब्लू नाइल की उत्पत्ति लेक टाना से होती है, जो पूर्वी अफ्रीका के इथियोपियन हाइलैंड्स में स्थित है।
- यह खार्तूम (सूडान की राजधानी) में अल-मुकरीन पर व्हाइट नाइल से मिलती है।

- इस संगम से नदी उत्तर दिशा में सूडान और मिस्र से होकर प्रवाहित होती है और अंततः भूमध्य सागर में नील नदी के रूप में समाहित हो जाती है।
- नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो 11 देशों से होकर बहती है: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी, युगांडा, केन्या, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, इरीट्रिया, रवांडा, तंज़ानिया, सूडान और मिस्र।

Source: BBC

वेम्बनाड झील

समाचार में

- केरल की वेम्बनाड झील गंभीर पारिस्थितिक संकट का सामना कर रही है।

वेम्बनाड झील के बारे में

- यह भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है।
- यह एक रामसर स्थल और अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है।
- यह पंबा, मीनाचिल, अचनकोविल, मणिमाला और पेरियार सहित 10 नदियों से पोषित होती है और अंततः अरब सागर में गिरती है।

Source: DTE

अभ्यास ज़ापद(ZAPAD) 2025

संदर्भ

- भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ापद 2025 में भाग लेने के लिए रूस रवाना हुआ।

अभ्यास के बारे में

- चीन सहित 20 से अधिक देश इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात प्रथम बार, भारत और पाकिस्तान की सेनाएँ एक ही सैन्य अभ्यास में भाग लेंगी।
- इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर-संचालन क्षमता में सुधार करना और भाग लेने वाली सेनाओं को पारंपरिक युद्ध एवं आतंकवाद-रोधी अभियानों के क्षेत्र में रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

Source: PIB